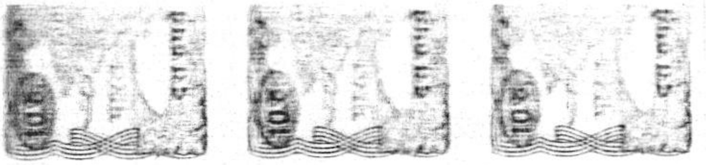

रिवीजन क्रमांक / 2017

प्रस्तुति दिनांक 21/11/17

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,ग्वालियर के समक्ष

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2017/4697

श्री रितेश अभि. औपचारिक द्वारा 21/11/17 को प्रस्तुत 21/11/17

1 मोहनलाल जायसवाल
पिता स्व.श्री गिरधारीलाल जायसवाल
निवासी – ग्राम लवाणी केसरपुरा
तहसील मनावर जिला धार

2 धीरज जायसवाल
पिता स्व.श्री गिरधारीलाल जायसवाल
निवासी – ग्राम लवाणी केसरपुरा
तहसील मनावर जिला धार

3 सोहनलाल जायसवाल
पिता स्व.श्री गिरधारीलाल जायसवाल
निवासी – ग्राम लवाणी केसरपुरा
तहसील मनावर जिला धार .... रिवीजनकर्तागण

विरूद्ध

1 रितेश पिता स्व.श्री सुंदरलाल
उम्र – 42 वर्ष, धंधा – कृषि
निवासी– वार्ड क्र.10, मुक्तानंद परीसर,
धामनोद म.प्र

2 सुशीलाबाई पति स्व.श्री सुंदरलाल
उम्र – 80 वर्ष, धंधा – ग्रहकार्य
निवासी – वार्ड क्र.10, मुक्तानंद परीसर,
धामनोद म.प्र

रेस्पोन्डेन्टस

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

महोदय सदर रिवीजनकर्तागण का निवेदन है कि,

माननीय नायब तहसीलदार महोदय मनावर जिला धार के द्वारा रा. प्र. क्र 44/अ–27/16–17 मे दिनाक 13.11.2017 को आदेश पारित किया गया है। जिससे असंतुष्ट होकर रिवीजनकर्तागण द्वारा सदर रिवीजन प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर /धार/निगरानी/भूरा/2017/4697

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–12–2017	आवेदक अधिवक्ता श्री रितेश अम्बे उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार मनावर जिला धार के आदेश दिनांक 13–11–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा अनावेदक का व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 4 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है । अतः तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर बोलता हुआ आदेश पारित करें । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी समाप्त की जाती है । अध्यक्ष	